



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 17 अगस्त, 2026

श्रावण 26, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 245/79-वि-1-2026-1-क-14-2026

लखनऊ, 17 अगस्त, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 14 अगस्त, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2026

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 17 जुलाई, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 12 सन्
2019 की
अनुसूची-2 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची-2 में, क्रम-संख्या 54 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या और उससे सम्बंधित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
55	महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, बिल्हौर, कानपुर, उत्तर प्रदेश	स्वामी ब्रम्हानंद सरस्वती चैरिटेबल, ट्रस्ट, दिल्ली

कठिनाइयां दूर
करने की
शक्ति

3-(1) राज्य सरकार, महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, बिल्हौर, कानपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यक्षीन, चाहे वे उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :
परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और
व्यावृत्ति

4-(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2026 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 18
सन् 2026

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात् महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, बिल्हौर, कानपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2026 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2026) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 245(2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-14-2026

Dated Lucknow, August 17, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidhyalay (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2026 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 14, 2026. The Uchha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (THIRD AMENDMENT)

ACT, 2026

(U.P. ACT NO. 23 OF 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Act, 2026. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 17th day of July, 2026.

2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") after serial no. 54, the following serial number and the entries relating thereto shall be *inserted*, namely:— Amendment of Schedule -2 of U.P. Act No. 12 of 2019

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
55	Maharshi Mahesh Yogi International Agriculture University, Bilhaur, Kanpur Uttar Pradesh	Swami Brahmanand Saraswati Charitable Trust, Delhi

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Maharshi Mahesh Yogi International Agriculture University, Bilhaur, Kanpur, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient: Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.

Repeal and saving 4.(1) The Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2026 is hereby repealed. U. P. Ordinance No. 18 of 2026

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act No. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new Private University namely, Maharshi Mahesh Yogi International Agriculture University, Bilhaur, Kanpur, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 18 of 2026) was promulgated by the Governor on July 17, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 467 राजपत्र-2026-(1148)-599 प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 89 सा० विधायी-2026-(1149)-30+270=300 प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।